

चेकलिस्ट क्र.-35
राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत बिलासपुर वन परिक्षेत्र के 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि ((छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के व्यपवर्तन हेतु मांग की गई है। राजस्व वनभूमि के लिये कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल/बिलासपुर (छ.ग.)


(एम.वी. अरविन्द)
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
M.V. ARVIND
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)
Deputy General Manager (Conservation)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

चेकलिस्ट क्र.-35

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छ0ग0)।

-: ज्ञापन :-

क्रमांक / 25 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2022

बिलासपुर दिनांक 3 / 12 / 2022

प्रति,

03/01/2023

उपमहाप्रबंधक
गेल इंडिया लिमिटेड
द्वितीय तल अरीना द बुटिक
होटल व्ही0आई0पी0 चौक
तेलीबांधा रायपुर (छ0ग0)।

विषय :- बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत 18 इंच व्यास कर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं आपटिलकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवहर्तित होने वाले राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (FRA) प्रदाय करने कावत्।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./ गैस पाइप लाइन/ वन भूमि/ वन अधिकार/ 2022 दिनांक 4.8.22
2. आपका पत्र क्र./ गैस पाइप लाइन/ वन भूमि/ अनापत्ति/ 2022 दिनांक 18.5.2022

—000—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। विषयांतर्गत आपको पीएनजीआरकी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) भारत सरकार द्वारा स्थापित नियामक निकाय से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। भारत सरकार, मुंबई-नागपुर रायपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) बिछाने एवं निर्माण संचालित करने के लिए मस्तूरी अनुविभाग के अंतर्गत सुग्री में उत्त्प्रेषित ग्रामो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तूरी जिला-बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके द्वारा चाही गई प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पू0क्र0 / 26 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2022
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक

कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

3 / 12 / 2022

03/01/2023

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तूरी जिला-बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

चेकलिस्ट क्र.-35

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छ.ग.ग.)।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गेल इंडिया कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत सरकार मुंबई-नागपुर-रायपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) विजाने एवं निर्माण संचालित करने के लिए मसुदा अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम परसदा के ख.नं. 1081/3 रकबा 0.8490 हे० में से 0.0191 हे० में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के लिये इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.ग.)